प्रारम्भिक वक्तव्य

माननीय सदस्यगण, पंचम् झारखण्ड विधान सभा के एकादश (बजट) सत्र में आप सबों का स्वागत, अभिनन्दन और जोहार।

पंचम् झारखण्ड विधान सभा का यह चौथा बजट सत्र है और राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता की आशाएँ और उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार ने अपने प्रथम बजट सत्र में ''सिर्फ संरचना निर्माण का नहीं, बल्कि मानव संसाधन विकास'' का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को इस बजट सत्र में और अधिक बल मिलेगा तथा समावेशी विकास की जो यात्रा इस सरकार ने शुरू की है उसको और अधिक गति मिलेगी।

माननीय सदस्यगण, संसदीय व्यवस्था में वाद-विवाद और प्रश्नोत्तर के श्रम से ही विकास के अमृत का निर्माण होता है। पक्ष और विपक्ष अपने विचारों और विचारधाराओं के बीच राज्य के साढ़े तीन करोड़ जनता के कल्याण को जब मूल में रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट सत्र पूरी तरह से सफल होगा। मुझे आशा है कि इस लम्बे सत्र के संचालन में आप सबों का सकारात्मक सहयोग मुझे प्राप्त होता रहेगा।

माननीय सदस्यगण, इस वर्ष 10 से 12 जनवरी तक जयपुर में आयोजित 83वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने का अवसर एवं झारखण्ड विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन में संविधान के भावनाओं के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाये रखने की आवश्यकता तथा संसद एवं विधान मंडलों को और प्रभावी उत्तरदायित्व एवं उत्पादकतायुक्त बनाने के विषय पर भारत संघ के उप राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उपाध्यक्ष की उपस्थिति में देश भर के विधान मंडलों के पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया गया।

इस सम्मेलन में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त में आस्था, अमर्यादित तथा संसदीय आचरण में प्रभावी नियंत्रण हेतु नियम एवं प्रक्रिया में सदस्यों के लिए आचार संहिता को शामिल करने, प्रश्न काल के दौरान व्यवधान न उत्पन्न करने, समिति प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने, विधायी निकायों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड के निर्माण, वार्षिक आधार पर एक उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार की शुरूआत करने एवं समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं और युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों एवं विधायी नियम और प्रक्रिया की जानकारी देने संबंधी संकल्प को पारित किया गया।

माननीय सदस्यगण, सभा के इस बजट सत्र में कुल 17 बैठक निर्धारित है, जिसमें सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया जाएगा। इस दौरान आप सभी माननीय सदस्यों को सदन में उपस्थापित होने वाले बजट के अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की योजनाओं की समीक्षा एवं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सार्थक बहस के अवसर प्राप्त होंगे। बजट प्रस्ताव, अनुदान की मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों के कई जनोपयोगी और सार्थक सुझाव आते हैं, जिसे आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट या चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में समाविष्ट किया जा सकता है।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के निमित्त आप सभी को संबोधित करेंगे। सदियों से स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार सभा में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को अत्यंत गरिमा और प्रतिष्ठा का अवसर माना जाता है। इस अवसर की पवित्रता और महत्ता को देखते हुए सभा के

माननीय सदस्यों से अनुशासन एवं शालीनता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए सभा में व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नांकित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है यद्यपि इस संदेश को पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है तथापि मैं इसे पढ़कर सुना देता चाहता हूँ।

"भारत के संविधान के अनुच्छेद-176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके शब्दों में मैं, सी0पी0 राधाकृष्णन, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक 27 फरवरी, 2023 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूँ और इस हेतु झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ।"

मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन में उपस्थित हों तो आप सभी अपने सीट पर विराजमान रह कर अभिभाषण को शालीनता के साथ सुनेंगे और पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान ना तो सभा से बाहर जाएंगे और ना ही अंदर प्रवेश करेंगे।

अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की आगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में उनकी आगवानी से आगमन और अभिभाषण के बाद उनकी विदाई तक के लिए मेरे सदन से बाहर रहने की अवधि में भी आप सभी माननीय सदस्य सदन में अपने-अपने स्थान पर बैठ कर व्यवस्था बनाए रखने की असीम कृपा करेंगे।